जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/16 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 11 फरवरी 2021

निगम की शह पर अवैध निर्माण का खेल!!!

भाग-2

आठ दुकानों को मिलाकर बन रहा अवैध काम्प्लेक्स!!

नगर निगम ग्रेटर के विद्याधर नगर ज़ोन में स्थित जसवंत नगर,खातीपुरा रोड की 8 कमर्शियल दुकानों 20,21,22,23,49,50,51,52 को बिना पुनर्गठन करवाए ,बिना सेटबैक छोड़े,बिना नक़्शे पास करवाए,बिना पार्किंग सुविधा के,सड़क पर अतिक्रमण कर, बनाया जा रहा अवैध काम्प्लेक्स|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

निर्माण दर निर्माण!!!
रोकने वाला कोई नहीं!!
महज 1 महीने में बना दिया
बेसमेंट सहित
दो मंजिला अवैध काम्प्लेक्स!!

अवैध निर्माण की पूर्व की तस्वीरें!!

सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

पेड़ और टेंट की आड़ में हो रहा अवैध काम्प्लेक्स का निर्माण

संपर्क पोर्टल पर शिकायत का हाल देखिये|

अवैध निर्माण की शिकायत को सेनेटरी इंस्पेक्टर के पास भिजवाई ,उसने " पाबन्द किया" का उत्तर देकर शिकायत को बंद कर दिया|

नगर निगम ग्रेटर में शिकायतों के निस्तारण का हाल देखिये,जब हमारे द्वारा यह मामला दिनांक 07/01/2021 को संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाया गया तो विभिन्न स्तरों से होकर यह शिकायत उपायुक्त विद्याधर नगर ज़ोन के पास पहुची,उनके द्वारा इस शिकायत को क्षेत्र के सेनेटरी इंस्पेक्टर के पास भिजवाया दिया गया(हो सकता है कि सेनेटरी इंस्पेक्टर के पास सतर्कता उपायुक्त का अतिरिक्त चार्ज हो) सेनेटरी इंस्पेक्टर को शायद मामला समझ में नहीं आया और उसने यह कहकर परिवाद बंद कर दिया कि सफाईकर्मी को पाबंद कर दिया है|

भूखंड मालिक क्षेत्र के उठाईगीरो/लुच्चे लफंगों के दम पर कर रहा दादागिरी,स्थानीय रहवासियों में भय|

नाम नहीं छापने की शर्त पर स्थानीय निवासियों द्वारा बताया गया कि इस अवैध निर्माण का ठेका क्षेत्र के एक हिस्ट्रीशीटर/गुंडे ने लिया है जो अपने गुर्गों/उठाईगीरे और लुच्चे लफंगे दोस्तों को मौके पर जमाये रखता है जिनके भय से क्षेत्र में किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वह इस अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठा सके|आप को बता दें कि यह अवैध व्यवसायिक काम्प्लेक्स कई दुकानों को बिना पुनर्गठन करवाए,बिना सेटबैक छोड़े,बिना नक़्शे पास करवाए,बिना पार्किंग सुविधा के,सड़क पर अतिक्रमण कर, बनाया जा रहा है|यदि समय रहते इस अवैध निर्माण को नहीं रोका गया तो इलाके में पार्किंग की बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी और लोगो का कानून पर से विश्वास उठ जायेगा|इस अवैध काम्प्लेक्स के अवैध शोरूमों को बेचकर मालिक को करोडो कमा लेगा लेकिन नगर निगम के खाते में परेशानियों के सिवा कुछ नहीं आयेगा|

संपर्क पर दर्ज परिवाद संख्या 1211599257857 का हाल,विद्याधर नगर ज़ोन को हेरिटेज में बताया जा रहा है

Entry Operator, (Administration), Citizen Contact Center, Yojana Bhawan	Heritage Jaipur, Deputy Commissioner, (Admin I), O/o Deputy Commissioner-Vidhayadhar Nagar Zone	Not Satisfied		परिवादी का कहना है की प्रकरण सम्बंधित कार्यालय भिजवाई जाये !
Municipal Corporation, Heritage Jaipur, Deputy Commissioner, (Admin I), O/o Deputy Commissioner-Vidhayadhar Nagar Zone	, , ,	Remarks	23-Jan-2021	सफाई कर्मी को पाबंद कर दिया गया है
Municipal Corporation, Heritage Jaipur, Deputy Commissioner, (Admin I), O/o Deputy Commissioner-Vidhayadhar Nagar Zone	, , ,	Partially Closed :Relief	23-Jan-2021	सफाई कर्मी को पाबंद कर दिया गया है

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

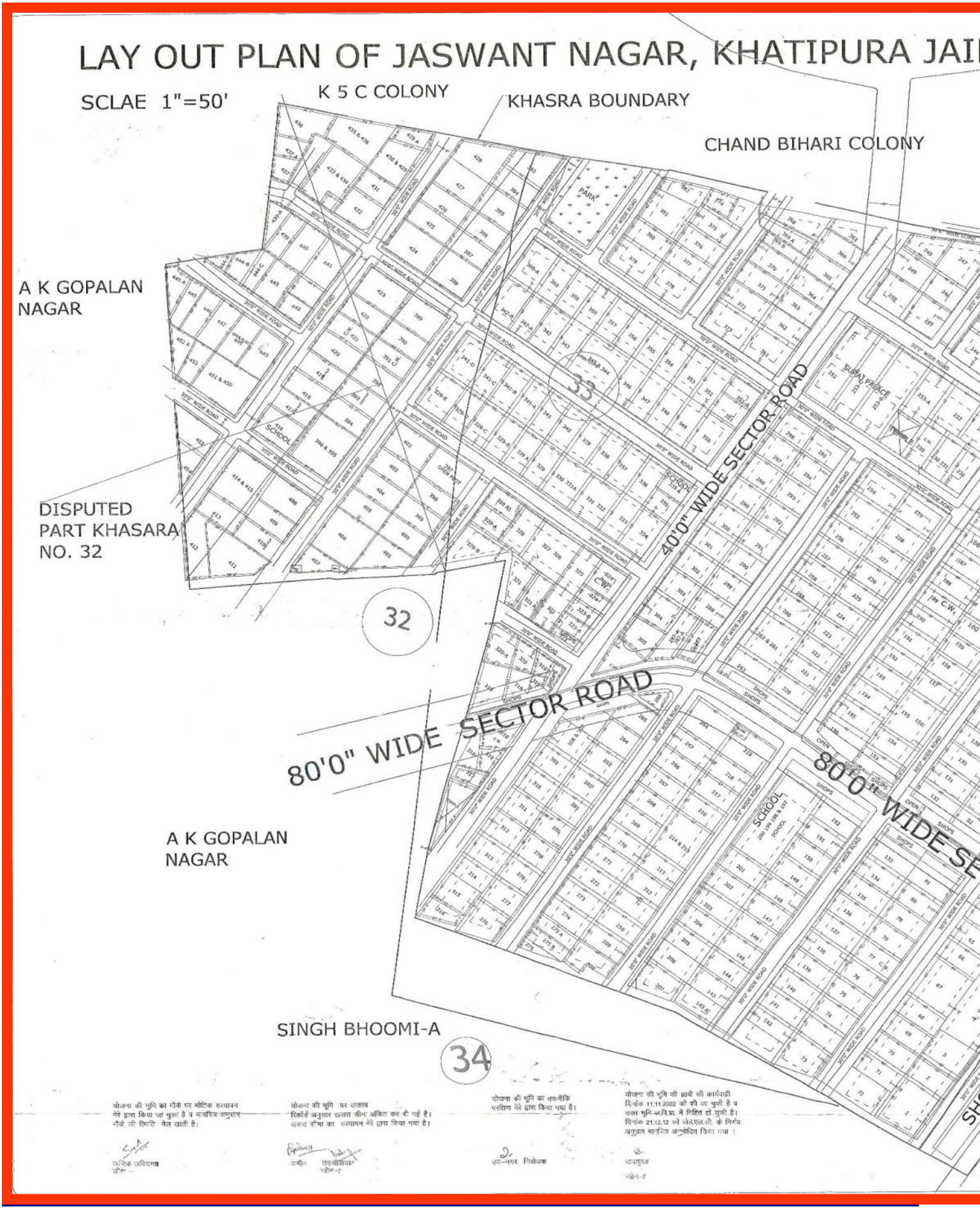

LAY OUT PLAN OF JASWANT NAGAR, KHATIPURA JAI
SCLAE 1"=50'
K 5 C COLONY
KHASRA BOUNDARY
CHAND BIHARI COLONY
A K GOPALAN NAGAR
DISPUTED PART KHASARA NO. 32
PARK
SCHOOL
33
32
40'0" WIDE SECTOR ROAD
80'0" WIDE SECTOR ROAD
80'0" WIDE SE
A K GOPALAN NAGAR
SINGH BHOOMI-A
34
योजना की भूमि का मौके पर भौतिक सत्यापन मेरे द्वारा किया जा चुका है व मानचित्र अनुसार मौके की स्थिति मेल खाती है।
योजना की भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा सीमा अंकित कर दी गई है। खसरा सीमा का सत्यापन मेरे द्वारा किया गया है।
योजना की भूमि का तकनीकि परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।
योजना की भूमि की 90बी की कार्यवाही दिनांक 11.11.2002 को की जा चुकी है व उक्त भूमि ज.वि.प्रा. में निहित हो चुकी है। दिनांक 21.12.12 को जे.एल.सी. के निर्णय अनुसार मानचित्र अनुमोदित किया गया ।
उप-नगर नियोजक

इन आठ दुकानों को मिलाकर बनाया जा रहा है यह अवैध काम्प्लेक्स!!

भवन विनियमों के अनुसार बिल्डिंग निर्माण के लिए भूखंडों का पुनर्गठन करवाना आवश्यक है,और भवन विनियमों के अनुसार ही सेटबैक,पार्किंग सुविधा और अग्निशमन मानकों की पालना सुनिश्चित की जानी होती है|जिसकी पालना नहीं करने पर यह बिल्डिंग अवैध निर्माण की श्रेणी में मानी जायेगी|

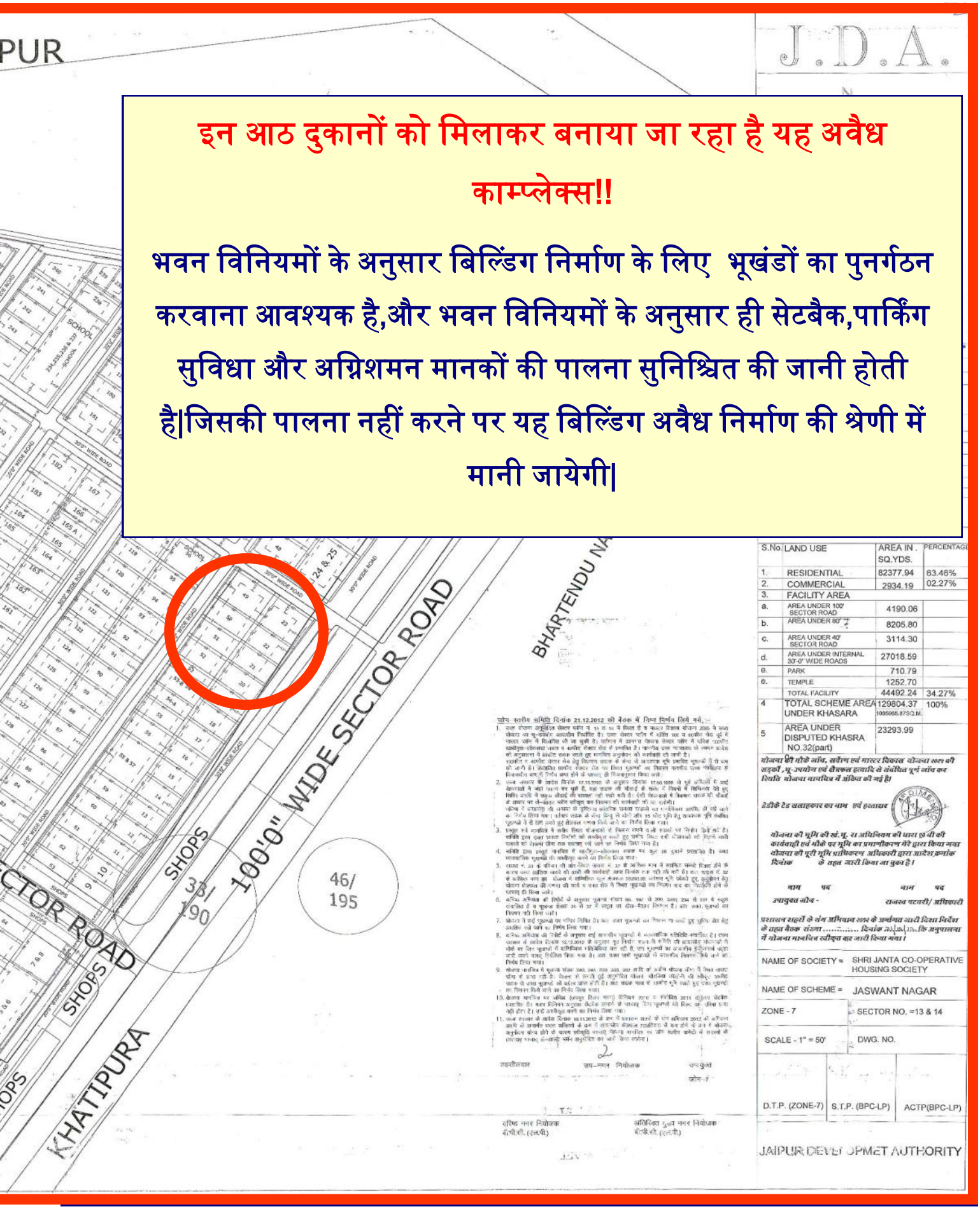

S.No.	LAND USE	AREA IN SQ.YDS.	PERCENTAGE
1.	RESIDENTIAL	82377.94	63.46%
2.	COMMERCIAL	2934.19	02.27%
3.	FACILITY AREA		
a.	AREA UNDER 100' SECTOR ROAD	4190.06	
b.	AREA UNDER 80'	8205.80	
c.	AREA UNDER 40' SECTOR ROAD	3114.30	
d.	AREA UNDER INTERNAL 30'-0" WIDE ROADS	27018.59	
e.	PARK	710.79	
e.	TEMPLE	1252.70	
	TOTAL FACILITY	44492.24	34.27%
4	TOTAL SCHEME AREA UNDER KHASARA	129804.37 (108566.87SQ.M.	100%
5	AREA UNDER DISPUTED KHASRA NO.32(part)	23293.99	

NAME OF SOCIETY =	SHRI JANTA CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY
NAME OF SCHEME =	JASWANT NAGAR
ZONE - 7	SECTOR NO. =13 & 14
SCALE - 1" = 50'	DWG. NO.

D.T.P. (ZONE-7)	S.T.P. (BPC-LP)	ACTP(BPC-LP)

JAIPUR DEVELOPMET AUTHORITY

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

कमांकः मॉ0 प्र0/डीएलबी/सर्म्पक/20/29-124 जयपुर,दिनांकः 17.02.2020

आयुक्त /अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम /परिषद /पालिकाऐ
समस्त राजस्थान ।

विषयः– राजस्थान सम्पर्क (सी एम हेल्पलाईन) के प्रकरणों का निर्धारित अवधि में सन्तोषप्रद निस्तारण करने हेतु निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के परिवादों की समीक्षा राज्य सरकार के सर्वोच्च स्तर पर की जा रही है । माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली वीडियों कोन्फेस में भी पोर्टल के प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में जिला स्तर पर भी सम्बधित जिला कलक्टर द्वारा परिवेदनाओं के निस्तारण की समीक्षा की जा रही है ।

प्रायः देखने में आय है कि नगर निकायों के स्तर पर प्रकरणों का यथा समय जबाब नहीं दिये जाने के कारण काफी संख्या के प्रकरण स्तर –1 तथा स्तर 2 से भी विभाग के स्तर 3 पर बिना कार्यावाही/बिना जबाब अग्रेषित हो रहे है जो उदासीनता का प्रतीक है काफी प्रकरणों में जबाव सन्तोषप्रद नही पाये गये है या बार–बार रि–ओपन होने पर आंशिक जवाब देकर प्रकरण का उचित निस्तारण नही किया जाना पाया गया है। जो गम्भीर विषय है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकरणों की स्वंय समीक्षा कर उचित एंव सन्तोषप्रद जवाब देकर प्रकरण का निस्तारण निर्धारित अवधि में ही पूर्ण करें । जिन प्रकरणों में यदि परिवेदना प्रस्तुत करने वाले आवेदक से कोई कार्यवाही अपेक्षित हो तो विधिवत स्पष्ट टिप्पणी कर प्रार्थी को अवगत करावे। मांग (डिमांड) से सम्बधित परिवेदनाओं का भी उचित सन्तोषप्रद जवाब दिया जावे कि बजट की स्थिति, आगामी योजना में शामील करने अथवा विभाग स्तर या अन्य स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही के सम्बध में आप द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण स्पष्ट. रूप से अंकित करते हुऐ गुणवत्ता पूर्ण प्रकरण का निस्तारण करें । रि–ओपन प्रकरणों में विशेष ध्यान देकर प्रार्थी की असन्तुष्टी के कारण का उचित जबाव भी देवें।

उक्त प्रकरणों का यथासमय निस्तारण नही करके , बिना जबाव दिये प्रकरण अग्रेषित होने तथा उचित अपेक्षित जबाव नही देकर मिथ्या जबाव देने पर सम्बधित दोषियों के विरूद्ध अनुशासानात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी । साथ ही राजस्थान सम्पर्क पर नगरीय निकायों की मैपिगं स्थानान्तरण /कार्यभार हस्तानान्तरण होते ही विभाग को पत्र भिजवाकर तत्काल दुरस्त करावें। काफी समय पश्चात तक भी मैपिगं सही नही पाये जाने की स्थिति में दोषी अधिकारीयों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

राज्य सरकार के आदेश के बावजूद संपर्क पोर्टल के प्रति उदासीन निगम के अधिकारी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stplsg407@rajasthan.gov.inवेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ.59.एसटीपी/डीएलबी/सामान्य–आदेश(862)/19/5707 दिनांकः 18.07.19

परिपत्र

राज्य सरकार के स्तर पर यह जानकारी में आया है कि राज्य के स्थानीय निकायों के क्षेत्र में बड़े स्तर पर आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक निर्माण होने के साथ शून्य सैटबेक में अवैध निर्माण तथा सड़कों पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण किये जा रहे है। जिससे आम नागरिकों को स्वच्छ जीवन यापन के लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, प्रदुषण मुक्त वातावरण, बाधामुक्त आवागमन एवं स्वस्थ स्वास्थ्य आदि में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे आमजन को गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अवैध निर्माण से सुनियोजित विकास में अवरोध उत्पन्न होता हे एवं सरकार द्वारा जारी भवन विनियम औचित्यहीन हो जाते है। स्थानीय निकाय की अकर्मण्यता से नगर में अतिक्रमणों से आम नागरिक आहत महसूस करता है, इससे नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ता हैं। स्थानीय निकाय की उदासीनत, कार्यरत कर्मियों/अधिकारियों के कर्तव्यों के पालन में कोताही बरतने से नगरीय निकाय को राजस्व हानि का दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है, तथा शहर दिन–प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। साथ ही गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी उक्त संदर्भ में कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में समस्त स्थानीय निकाय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को काफी गंभीरता से लिया जावे, जिससे बड़े स्तर पर हो रही राजस्व हानि को रोका जा सकें, साथ ही माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना की जा सकें। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि समस्त निकाय क्षेत्र में कोई भी किसी प्रकार का बिना स्वीकृति निर्माण कार्य नहीं होने दें, तथा अवैध निर्माण पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जावे, बिना स्वीकृति किये जा रहे अवैध निर्माणों को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर उचित कार्यवाही करें। साथ ही यह सुनिश्चिता की जावें कि उक्त संबंध में लापरवाही करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

18/7/19
(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

क्रमांकः एफ.59.एसटीपी/डीएलबी/सामान्य–आदेश(862)/19/5708–5716 दिनांकः 18.07.19

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत शासन एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
6. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, समस्त।
8. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभागकी वेबसाईट पर अपलोड करावें।

18/7/19
(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राज्य सरकार के आदेश के बावजूद अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही पर जिम्मेदार मौन!!!

प्रथम सुचना रिपोर्ट

1.	भूखंडो का पता	शॉप संख्या 20,21,22,23,49,50,51,52 जसवंत नगर,खातीपुरा जयपुर
2.	संचालित गतिविधि	व्यवसायिक निर्माण
6.	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	बिना पुनर्गठन करवाए,बिना नक़्शे पास करवाए एवं बिना अनुमति,बिना भवन विनियमों के बेसमेंट सहित बहुमंजिला व्यवसायिक कोम्प्लेक्स का
7.	सम्बंधित ज़ोन	नगर निगम ग्रेटर,विद्याधर नगर जोन
8.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी(प्रवर्तन स्तर पर)	ज़ोन उपायुक्त श्री करणी सिंह
9.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	11/02/2021

जवाब मांगते सवाल?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नहीं रोकने वाले लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे में जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रेल को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में 22 जनवरी 2015 को अभ्यावेदन देने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर में अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे हैं। कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नहीं? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्होंने दायित्व के प्रति अनदेखी को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सुबह 11 बजे होगी।

1. क्या भवन मालिक द्वारा विधिक रूप से इन दुकानों का पुनर्गठन करवा लिया गया है?
2. क्या सैन्य क्षेत्र की 500 मीटर की परिधि में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर पाबन्दी नहीं है?
3. क्या भवन मालिक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
4. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया जा रहा है?
5. क्या भवन मालिक द्वारा बेसमेंट की अनुमति ली गयी है?
6. क्या भवन मालिक द्वारा इन दुकानों की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
7. क्या भवन मालिक द्वारा इन दुकानों का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
8. यह मामला जे.डी.ए./नगर निगम के आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को आंच नहीं आती तो क्या सक्षम प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है?
9. क्या जे.डी.ए./नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
10. क्या इस अवैध निर्माण के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है?क्यों उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?